

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या 630/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक ::03 अगस्त, 2017

अधिसूचना / शुद्धिपत्र

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात् -

(क) अनुसूची I में - 2.5%,-

(एक) क्रम सं0 59 में, स्तंभ(3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये ;

(दो) क्रम सं0 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये ;

(तीन) क्रम सं0 92 में,-

क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;

ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताशा, बुरा" पढ़ा जाये;

(चार) क्रम सं0 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान" पढ़ा जाये;

(पाँच) क्रम सं0 220 में, स्तंभ (3) में-

क) "सैमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये;

ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये;

ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;

(छः) क्रम सं0 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें "(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नहीं";

(ख) अनुसूची II में -6%,-

(एक) क्रम सं0 14 में, स्तंभ (3) में "चाहे कवच युक्त या छिलका रहित हो या नहीं", के पश्चात, स्थापित करें "और शुष्क नारियल";

(दो) क्रम सं0 16 में, स्तंभ(3) में "छुआरा" के स्थान पर "छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये ;

(तीन) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्या 1(च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1(छ)", पढ़ा जाये ;

(चार) क्रम सं0 74 में, स्तंभ (3) में "3302" के स्थान पर "3301" पढ़ा जाये ;

(पाँच) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3) में "शीर्षक 9208" के स्थान पर "शीर्षक 9208 या 9705" पढ़ा जाये ;

(ग) अनुसूची III में -9%,-

(एक) क्रम सं0 55 में, स्तंभ (3) में "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही" के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" पढ़ा जाये;

DTI/GST Notification/ Amendment in notifi.no. 514(01-08-2017)

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

Page 1 of 4

अपर आयुक्त-अभिज्ञ कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

4392
04/08/2017

- (दो) क्रम सं0 133 में, स्तंभ (3) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" के स्थान पर "कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा" पढ़ा जाये;
- (तीन) क्रम सं0 233 में, स्तंभ (3) में "सिलाई की सुइयां" का लोप किया जाएगा;
- (चार) क्रम सं0 247 में, स्तंभ (3) में "0.12.5 मिलीमीटर" के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर" पढ़ा जाये;
- (पाँच) क्रम सं0 323 में, स्तंभ (2) में "8522 90" के स्थान पर "8422 90" पढ़ा जाये;
- (छः) क्रम सं0 395 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशीय फाइबर केबल" पढ़ा जाये;
- (सात) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3) में "और अन्य लेखनी" का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची IV में -14%,-

- (एक) क्रम सं0 158 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स" पढ़ा जाये;
- (दो) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर केबल्स" पढ़ा जाये;
- (तीन) क्रम सं0 215 में, स्तंभ (3) में "विडियो गेम कंसोल और मशीनें" के स्थान पर "विडियो गेम्स कंसोल्स और मशीनें, आर्टिकल और श्रृंखला बिलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोट्स, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" पढ़ा जाये।


(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 630/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।



आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ⁶³⁰2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated ⁰³August, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. ⁶³⁰2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: ⁰³August, 2017

Notification/Corrigendum

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient to do so in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, is pleased to allow to make the following amendments in the Notification No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 issued by the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, namely:-

(A) In the Schedule I-2.5%,-

- (i) in S. No.59, in column (3), for “1106 10 90”,read “0713”;
- (ii) in S. No.61, in column (2), for “1106 10 90”,read “0713”;
- (iii) in S.No.92,-
 - (a) in column (2), for “1702”,read “1702 or 1704”;
 - (b) in column (3), for “Palmyra sugar”,read “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura”;
- (iv) in S.No.185, in column (3), for “Agarbatti”,read “Agarbatti, lobhan”;
- (v) in S. No. 220, in column (3),-
 - (a) for “saima”, read “salma”;
 - (b) for “gotasitara”, read “gota, sitara”;
 - (c) for “glzal”, read “gizai”;
- (vi) in S. No. 234, in column (3), after entry (g), insert “(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels”;

(B) In the Schedule II-6%,-

- (i) in S.No.14, in column (3), after “shelled or peeled”, insert “and desiccated coconuts”;

- (ii) in S.No.16, in column (3), for “Dates”, read “Dates (soft or hard)”;
- (iii) in S.No.56, in column (3), for “serial number 1(f)”, read “serial number 1(g)”;
- (iv) in S.No.74, in column (2), for “3302”, read “3301”;
- (v) in S.No.231, in column (3), for “heading 9208”, read “heading 9208 or 9705”;

(C) In the Schedule III-9%-

- (i) in S. No. 55, in column (3), for “(Fountain pen ink and Ball pen ink)”,read “(other thanFountain pen ink and Ball pen ink)”;
- (ii) in S. No. 133, in column (3), for “Artificial fur and articles thereof”,read “Artificial fur other than articles thereof”;
- (iii) in S. No. 233, in column (3), omit “Sewing needles”;
- (iv) in S. No. 247, in column (3), for “0.12.5 mm” , read “0.15 mm”;
- (v) in S.No.323, in column (2), for “8522 90”, read “8422 90”;
- (vi) in S. No. 395, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cable”;
- (vii) in S. No. 447, in column (3), omit “and other pens”;

(D) In the Schedule-IV-14%-

- (i)in S. No. 158, in column (3), for “optical fibres optical fibres, bundles or cables”, read “optical fibres, optical fibre bundles or cables”;
- (ii) in S. No. 161, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cables”;
- (iii) in S.No.215, in column (3), for “Video games consoles and Machines”, read “Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, i.e., casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]”.



(Amit Singh Negi)
Secretary